(a) Ministry of Surface Transport is not aware of such eleborate plan.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Loss of MIG aircrafts crashes

*120. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of IAF fighter aircrafts lost in crashes since 1973, till date, and how many of these are MIG aircrafts;

(b) what is the total estmated loss suffered as a result of these crashes',

(c) the number of crew members who died in these accidents;

(d) the number of MIG figther aircrafts crashed due to inherent technical defects; and

(e) what is the outcome of the negotiations with the suppliers of MIG aircrafts for supplying technically defective aircrafts?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) Since 1973 IAF have lost 477 fighter aircraft in air crashes which include 314 MIG variants. Out of these MIG variants, 118 were lost due to technical defect 135 IAF pilot have been killed and a loss of approximately Rs. 1237 Crores has been suffered on account of these accidents.

(e) No general negotiations have been conducted with suppliers of MIG aircraft. However, whenever technical defect is suspected, matter is taken up with designer/ manufacturer on case-to-case basis. A warranty clause is available in all the repair and supply contracts with foreign agencies for free repairs/ replacements during the warranty period.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

गावों में उप डाकघर

776. **प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार कितने गाँवों में उप डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने गावों में उप डाकघर खोले जायेंगे;

(ग) डाकघर खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये मानदण्डों में कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने उप डाकघरों की संस्वीकृति दी गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) समूचे देश के 6,08,573 गांवों में से 1,46,801 गांवों में डाकघर हैं। समूचे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14,444,34 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख)जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में विभागीय डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अब तक योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना, 1997-98 के दैरान डाकघर खोलने के लक्ष्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 1997-98 के दौरान समूचे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा-1 में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) डाकघर खोलने के मानदण्ड विवरण-11 में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(घ)शहरी क्षेत्रों में अतिरक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोले जाते हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदण्ड अलग अलग हैं।

(ड़)शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मानदण्डों में अंतर का कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्याधिक घनत्व होता है जिसके परिणामस्वरूप डाकघर से अधिक आय की प्राप्ति होती है तथा यह आत्मनिर्भर बना रहता है।

(च)वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर किए गए उप डाकघरों की संख्या 2 है।

विवरण-1

वार्षिक योजना 1997-98 **के लिए वास्तविक लक्ष्यों का आवंटन**

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	10
2.	असम	17	8	25
3.	बिहार	27	13	40
4.	दिल्ली	5	-	5
5.	गुजरात	17	8	25
6.	हरियाणा	15	-	15
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	11	4	15
9.	कर्नाटक	23	7	30
10.	केरल	10	-	10
11.	मध्य प्रदेश	25	12	37
12.	महारष्ट्र	26	9	35
13.	उत्तर पूर्व	17	8	25
14.	उडीसा	18	9	27
15.	पंजाब	17	-	17
16.	राजस्थान	22	11	33
17.	तमिलनाडु	16	5	21
18.	उत्तर प्रदेश	53	17	70
19.	पश्चिम बंगाल	38	12	50
	कुल	371	129	500

विवरण-11

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में

किसा एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि. मी. होगी।

(ख) पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में दूरी सीमा उपर्युकतानुसार ही होगी, सिवाए इसके कि पहाडी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जिसे प्रस्ताव पेश करते समय स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्य भार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपेय वार्षिक घाटा 2400 रु. प्रतिवर्ष और जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्र 4800 रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 शहरी क्षेत्रों में

2.2.1 शहरी क्षेत्रों में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे पांच प्रतिशत का लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने के लिए पात्र हो सके।

2.2.2 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि. मी. तथा अन्य शहरों क्षेत्रों में 2

कि. मी. होनी चाहिए। यदि एक वितरण डाकघर है तो नजदीकी वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 किं मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

दस प्रतिशत मामलों में सर्किलों के अध्यक्षों की दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है। 2.2.3

2.2.3 शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

बिहार के मंत्रियों पर बकाया टेलीफोन राशियां

777. **श्री ईस दत्त यादव**:
श्री रामगोपाल यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार के मंत्रियों पर टेलीफोन बिल का लाखों रूपये का बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रियां की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मंत्री पर कितना कितना बकाया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):

(क) जी हां,

(ख) ऐसे मंत्रियों की संख्या और नाम तथा उन पर बकाया राशि के ब्यौरा विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) कार्यालय अध्यक्षों द्वारा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है और बकाया राशि की वसूली के लिए इस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

बिहार सरकार के मंत्रियों/पूर्व मंत्रियों के प्रति बकाया राशि की सूची

क्रम सं.	नाम/पदनाम	कुल बकाया राशि
1.	मुख्यमंत्री, बिहार	14.71.150
2.	सिंचाई मंत्री	5.878
3.	जल संसाधन मंत्री	2.02.050
4.	सिंचाई राज्य मंत्री	72,793
5.	सहकारिता मंत्री	1,91,044
6.	आपूर्ति तथा वाणिज्य मंत्री	3,57,635
7.	नागरिक आपूर्ति मंत्री	3,10,643
8.	भवन एवं निर्माण मंत्री	89,946
9.	संसदीय कार्य मंत्री	32,349
10.	मंत्री (लोक निर्माणविभाग)	12,19,091
11.	कल्याण मंत्री	2,73,121
12.	अनुसूचित जन जाति कल्याण मंत्री	1,85,445
13.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	2,31,199
14.	स्वास्थ्य मंत्री	3,19,911
15.	पी. एच. ई. डी. मंत्री	36,617
16.	खान तथा भूविज्ञान मंत्री	1,93,813
17.	खान मंत्री	10,05,761
18.	शिक्षा मंत्री	4,16,270
19.	जल संसाधन मंत्री	6,69,961
20.	वन एवं पर्यावरण मंत्री	2,19,431
21.	ग्रामीण विकास मंत्री	4,71,281
22.	वित्त मंत्री	1,61,575
23.	प्रौढ़ शिक्षा मंत्री	5,91,788
24.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री	8,79,256
25.	गन्ना एवं हथाकरघा मंत्री	4,83,989
26.	पशुपालन मंत्री	2,02,334
27.	श्रम मंत्री	1,84,929
28.	श्रम तथा योजना मंत्री	4,13,849
	जोड़	1,08,93,019

Mini-M New Portable Satellite Communication Service

778. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI SANJAY DALMIA:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the salient features of Mini-M New portable satellite communication service;

(b) the call charges per minute;

(c) whether connections are given to all applicants; and;

(d) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA):

(a) Sir, Inmarsat phone Mini-M is the new global mobile phone service supporting voice telephony, Fax and data services at 2.4 kbp;.